Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language,
Online ISSN 2348-3083, SJ IMPACT FACTOR 2021: 7.278, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL, FEB-MAR, 2022, VOL-10/50
https://doi.org/10.21922/srjhel.v10i50.10186

भारत में महिलाओं को प्रदत्त सामाजिक एवं विधिक अधिकारों के प्रति जागरूकताः जनपद अलीगढ़ के विशेष संदर्भ में

आशा[1] एवं मुकेश चाँद[2]. Ph. D.

[1]शोध छात्रा, डॉ भीमराव अम्बेडकर वि० वि० आगरा

[2]एसोसिएट प्रोफेसर–समाजशास्त्र विभाग, बी० एस० ए० कॉलेज मथुरा

Paper Received On: 25 MAR 2022

Peer Reviewed On: 31 MAR 2022

Published On: 1 APR 2022

Abstract

पुरूष प्रधान समाज, लैंगिक भेद – भाव, भौतिकवादी सोच, सांस्कृतिक आदान–प्रदान तथा संस्थात्मक परिवर्तनों आदि के कारण यद्यपि वर्तमान समय में स्त्रियों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक गतिशीलता में वृद्धि हुई है। भारतीय समाज में मुख्यतः पिछले पचास वर्षों में अनेक परिवर्तन हुए हैं एवं वर्तमान में भी हो रहे हैं। किन्तु विचारणीय तथ्य यह है कि यह परिवर्तन कितने लाभदायक व तर्क संगत हैं, इनसे वास्तविक रूप में क्या–क्या लाभ हो रहा है, इन परिवर्तनों की दिशा क्या है तथा सामाजिक जीवन पर इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है। महिलाओं को प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों के प्रति भारतीय ग्रामीण महिलाओं में जागरूकता का अभाव आशातीत सशक्तिकरण के मार्ग की प्रमुख बाधा है ।

पारिभाषिक शब्दः *समाज सुधार, जागरूकता, सशक्तिकरण, संवैधानिक प्रावधान।*

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

विश्लेषण एवं परिलब्धियाँ : 'स्वतंत्रता के पश्चात्' महिला सशक्तिकरण की दिशा में समाज सुधारकों के प्रयत्नों, महिला आन्दोलनों, महिलाओं की स्थिति सम्बन्धी अध्ययनों आदि के परिणामस्वरूप महिलाओं की स्थिति में सुधार एवं उनकी सुरक्षा हेतु अनेक प्रयत्न किए गए। स्त्रियों की निर्योग्यताओं को दूर करने, उनके प्रति होने वाले अत्याचारों की रोकथाम तथा उनके अधिकारों की सुरक्षा हेतु अनेक अधिनियम पारित किए गए तथा नवीन कानूनों का सृजन किया गया। इन अधिनियमों एवं कानूनों ने सिद्धान्तः महिलाओं को सुरक्षा एवं समानता का अधिकार प्रदान भी किया। किन्तु महिला साक्षरता की निम्न दर, पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था,

परम्परावादी सामाजिक विचारधारा, मुख्यतः स्त्रियों हेतु स्थापित मान–मर्यादा सम्बन्धी सामाजिक आदर्श तथा बनाए गये कानूनों की विसंगतियों एवं खामियों आदि के कारण इन कानूनों एवं प्रयत्नों की उचित व्यावहारिक परिणति न हो सकी तथा सैद्धान्तिक तौर पर महिलाओं को दी गई कानूनी समानता एवं व्यावहारिक समानता में अन्तर बना रहा। परिणामतः बनाये गये कानून महिलाओं की स्थिति व सुरक्षा की दृष्टि से अधिक प्रभावी भूमिका न निभा सके।

भारतीय संविधान में, महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक निर्योग्यताओं को दूर करने हेतु, विभिन्न प्रावधन एवं विशेषाधिकार प्राप्त हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14,15,15(3),16,39क, 39ख,39गएवं 42 इस सम्बन्ध में विशेष महत्व रखते हैं। अनुच्छेद 14 संवैधानिक समानता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 (i) राज्यों को, जाति, धर्म, लिंग एवं जन्म के स्थान के आधर पर भेद भाव न करने के लिये निर्देशित करता है। अनुच्छेद 15(3) राज्यों को, महिलाओं एवं बच्चों के लिये विशेष प्रावधनों हेतु निर्दिष्ट है। भारतीय संविधान में, महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक निर्योग्यताओं को दूर करने हेतु, विभिन्न प्रावधन एवं विशेषाधिकार प्राप्त हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14,15,15(3),16,39क, 39ख,39गएवं 42 इस सम्बन्ध में विशेष महत्व रखते हैं। अनुच्छेद 14 संवैधानिक समानता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 (i) राज्यों को, जाति, धर्म, लिंग एवं जन्म के स्थान के आधर पर भेद भाव न करने के लिये निर्देशित करता है। अनुच्छेद 15(3) राज्यों को, महिलाओं एवं बच्चों के लिये विशेष प्रावधनों हेतु निर्दिष्ट है।

अनुच्छेद 16 किसी भी राज्य के सरकारी ऑफिसों में नौकरी के समान अवसर प्रदान करता है।

अनुच्छेद 39(क) समुचित जीविका के साधनों की उपलब्धता तथा न्याय प्रप्ति के समान अवसर प्रदान करने एवं अनुच्छेद 39(घ) समान कार्य हेतु समान वेतन से सम्बन्धित है।

अनुच्छेद 42 कार्य हेतु सौहार्द्रपूर्ण परिस्थितियों एवं मातृत्व राहत प्रदान करता है।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

अनुच्छेद 46 किसी भी प्रकार के शोषण से सुरक्षा प्रदान करने के साथ निर्बल वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को सुीक्षित करता है।

अनुच्छेद 47 पोषण एवं जीवन स्तर को सुनिश्चित करता है।

अनुच्छेद 51(A –e) महिलाओं के प्रति अपमानजनक व्यवहार का उन्मूलन एवं उनके गौरव की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

अनुच्छेद 243(D –3 & D-4) पंचायतों एवं पंचायत कार्यालयों में आरक्षण प्रदान किये जाने से सम्बन्धित है।

अनुच्छेद 243(T –3 & T-4) म्यूनिसिपालिटी कार्यालयों में महिलाओं के स्थान सुरक्षित करता है।

नीरा देसाई [1];ने अपने आनुभविक अध्ययन के आधार पर लिखा है कि भारतीय समाज में महिलाओं की परिवर्ती प्रस्थिति के सम्बन्ध में कोई निश्चित, पूर्ण एवं अन्तिम धारणा नहीं बनायी जा सकती। जैसे–जैसे शिक्षा का प्रचार–प्रसार बढ़ा; महिलाओं में आत्म निर्भरता सम्बन्धी भावना बलवती होती गयी तथा अपने व्यक्तित्व की पहिचान अनुभव करने लगी। इसी आनुभूतिक सामाजिक जागरूकता तथा सामाजिक विधानों के प्रभावों के कारण वर्तमान व्यवहारिक धरातल तक लाया जा सका है।

अल्टेकर ए0एस[2];ने लिखा है कि आज भारतीय नारी की आन्तरिक घुटन युगों की दासता को तोड़कर समान अस्तित्व पाने के लिए बेचैन है। आज वह मनु की नारी बनने के लिए तैयार नहीं है जो जन्म से वृद्धावस्था तक केवल बन्धनों में जकड़ी रहती है, न ही वह साहित्यकारों की कोमलता, माधुर्य और सौन्दर्य से परिपूर्ण नायिका है बल्कि वह एक शक्तिमयी नारी के रूप में उभरकर आना चाहती है।

कार्मेन आर[3];के मतानुसार स्वतंत्रता–प्राप्ति के पश्चात भारतीय नारी की स्थिति और भूमिकाओं में नियोजित परिवर्तनों की एक श्रृंखला दृष्टव्य होती है क्योंकि संवैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत नारी की पूर्व दयनीय दशाओं के सुधार हेतु विभिन्न सामाजिक अधिनियम पारित किए गए तथा यथोचित सुधार व प्रगति न होने पर अधिनियमों में संशोधन किए गए यथाः बाल विवाह को प्रतिबन्धित करने के लिए शारदा एक्ट 1836 बनाया गया; तत्पश्चात अशिक्षा, बेमेल विवाह, विधवा पुनर्विवाह के लिए भी संवैधानिक प्रावधान किए गए।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

आशा रानी ब्होरा[4] के अनुसार; निश्चित तौर पर शिक्षा, सामाजिक जागरूकता तथा संविधान प्रदत्त सामाजिक अधिकारों का लाभ भारतीय नारी को मिला है। इसके कारण एक ओर परम्परागत श्रेष्ठता की भावना के आघात लगने से पुरूष का अहम नारी की इस प्रगति को एकाएक पचा नहीं पाया है; इसलिए दूसरी लड़ाई अभी शेष है। वह है सामाजिक भेदभाव और सामाजिक अन्याय दूर करने की लड़ाई; क्योंकि नारी संरक्षण के सम्बन्ध में अन्यान्य सामाजिक विधान बन चुके हैं।

अग्रवाल सरिता[5]; ने लिखा है कि भारतीय महिलाओं की प्रस्थिति को संवैधानिक अधिकारों एवं विधायी प्रावधानों ने सकारात्मक दिशा में प्रभावित किया है; पुरूषों के समकक्ष अधिकार प्रदान किए हैं, बाल विवाहों को समाप्त कर दिया है; स्त्रियों को विवाह–विच्छेद का अधिकार दिया है, विधवा विवाहों को मान्यता दी है, परिवार की सम्पत्ति में स्त्रियों को पुरूषों के समान अधिकार दिए हैं, महिलाओं व कन्याओं के अनैतिक व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दिया है; दहेज को निषिद्ध कराकर दिया है एवं कठोर दण्ड का प्रावधान किया है; अन्तर्जातीय जाति विवाहों के लिए विशेष विवाह कानून दिया है, गर्भपात रोकने के लिए अधिनियम दिया है, सती प्रथा निषेध किया है, पृथक रहने व भरण पोषण हेतु नारी अधिकार अधिनियम बनाया है; न्यायिक पृथक्करण अधिनियम दिया है, मुस्लिम महिलाओं के लिए तलाक अधिकार संरक्षण अधिनियम दिया है, समाज से छुआछूत निवारण हेतु अस्पृश्यता अधिनियम दिया है, साथ ही अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम के लिए अधिनियम भी पारित किया है; ताकि विकास के साथ–साथ महिलाओं की प्रस्थिति को कानूनों द्वारा सुधारा जा सके।

शोध प्रविधि एवं परिकल्पनाः प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक तथ्य संकलन हेतु उ0 प्र0 के जनपद अलीगढ़ की 50 महिलाओं का चयन किया गया है।

H1ः महिलाओं को प्रदत्त अधिकारों के प्रति भारतीय महिलाओं में जागरूकता का अभाव आशातीत सुदृढ़ीकरण के मार्ग की प्रमुख बाधा है ।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

तालिका नं. (1) क्या आपको महिलाओं को प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम आदि, की जानकारी है ?'' प्रश्न का प्रत्युत्तर

क्रमांक	प्रश्न का प्रत्युत्तर	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1.	हाँ	20	40.00
2.	नहीं	15	30.00
3.	उदासीन/तटस्थ	15	30.00
	अनुत्तरित		
	योग	50	100.00

तालिका नं. (2) शैक्षिक स्तरों के सापेक्ष अभिमत''

क्रमांक	प्रत्युत्तर	शैक्षिक स्तर आवृत्तियाँ/प्रतिशत	
		शिक्षित/उच्चशिक्षित	साक्षर/अशिक्षित
1.	हाँ	20	00
2.	नहीं	00	15
3.	उदासीन/तटस्थ	05	10
4.	अनुत्तरित		
	योग	25	25

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक आंकड़ों के विश्लेषण तथा विवेचन से विदित होता है कि सर्वेक्षित कुल 50 महिला सूचनादाताओं में से 20(40.00 प्रतिशत) निदर्शितों ने यह स्वीकार किया है कि **महिलाओं को प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम आदि, के जानकारी है।** सकारात्मक प्रत्युत्तर प्रदान करने वाली महिलाओं में समस्त उत्तरदाता शिक्षित या उच्च शिक्षित हैं। मात्र 15(30.00 प्रतिशत) निदर्शितों ने इस तथ्य के विपरीत उत्तर प्रदान किए हैं; वही 15(30 प्रतिशत) निदर्शित इस प्रश्न के उत्तर देने पर तटस्थ रहे हैं। **महिलाओं को प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम आदि, के प्रति ग्रामीण महिलाओं में**

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

जानकारी का प्रायः अभाव है। शिक्षा एवं जागरूकता के मध्य धनात्मक सहसम्बन्ध है।

References

DESAI N. (2010) : The Changing Status of working women in India, Vikas Publishing House, Delhi.

ALTEKAR (2006) : Attitudes of Educated Women towards Social Issues, National Publishing House, Delhi.

KARMEN R. (2011) : Reality of women empowerment in India, SHREYAS Publications, Meerut.

ब्होरा आशारानी (2006) :नारी शोषण– आइने और आयाम, नेशनल पब्लिकेशन्स हाउस, नई दिल्ली।

अग्रवाल एस0 (2012) :सामाजिक व्याधिकी और विघटन, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language